Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
शारदा बनाम गोपाल वगै0

अपील संख्या 5/19 अन्तर्गत धारा 223 आर टी एक्ट GCMS NO 2019/00048

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.25	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादियां/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद मे आराजी ख0न0 574,575 कुल रकबा 1.22 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी मे वादिया को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्त [illegible] घोषित कराने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराने हेतु दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 28.3.17 को वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति मे तैयार करवाई जाकर न्यायालय मे प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये। बंटवारा स्कीम तहसीलदार से प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र विधि विरूद्व डिक्री किया गया। क्योकि तहसीलदार द्वारा बंटवारा स्कीम पक्षकारो की मौजूदगी मे तैयार नही की है तथा वादिया को दिये गये हिस्से पर आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता प्रदान नही किया गया है। बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार नही की गई है। इस तथ्य को अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो विधि विरूद्व है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार करवाई जाकर पुनःनिर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। रेस्पो0 संख्या 1 गोपाल स्वयं उपस्थित हुए। शेष रेस्पो0 बावजूद तामिल उपस्थित नही है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा बंटवारा स्कीम पर अपनी मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की। जिन्होंने भी प्रकरण मे बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार करवाई जाकर पुनःनिर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने [illegible] उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा मुख्य [illegible] से बंटवारा स्कीम पर अपनी आपत्ति का कथन करते हुए वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार कराई जाकर पुनःनिर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने पर अपनी मौखिक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सहमति प्रदान की गई है। पत्रावली मे उपलब्ध बंटवारा स्कीम के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि बंटवारा स्कीम पक्षकारो की मौजूदगी मे तैयार नही की गई है। जबकि बंटवारे के वाद मे मौके एवं कब्जे के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर उसी अनुरूप बंटवारा किया जाता है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण मे उभयपक्ष की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित करावे तथा मुताबिक बंटवारा स्कीम पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 57/13 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार कराई जाकर मुताबिक बंटवारा स्कीम पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 29.12.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested